

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:-०८/अ०प्र०-०७-०८/२०२३

३८३

/पटना, दिनांक:- १६.७.२५

अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-२६.०६.२०२५ को आयोजित बैठक में वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-४६८५ दिनांक-२५.०६.२००३ द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली २००३, तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-७५६६ दिनांक-१४.०७.२०१० द्वारा निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति योजना) नियमावली, २०१०, पत्रांक-५१५२ दिनांक-२१.०५.२०१३, विभागीय पत्रांक-१२४०२ दिनांक-१३.१२.२०१८, वित्त विभागीय परिपत्र सं०-४८६२, दिनांक-२९.०४.२०२५ एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में यथा निर्गत संगत संकल्पों/परिपत्रों/प्रावधानों के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन एन०आर०ई०पी० स्थापना के निम्नांकित लिपिकों/कनीय लेखा लिपिकों जिन्हें समाहरणालय लिपिकीय सेवा के समतुल्य घोषित किया गया है, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-०७ में अंकित तिथि से एवं वेतनमान में वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०)की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	योगदान की तिथि	सेवा समुष्टि की तिथि	देय वित्तीय उन्नयन	स्क्रीनिंग समिति का निर्णय/अनुशंसा
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री कृष्णा सिंह/ सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/ स्था०क्ष०अभि० संगठन, कार्य प्रमंडल, कैमूर	०७.०१.१९५५/ ३१.०१.२०१५	१८.०५.१९८४	वित्त विभागीय परिपत्र सं०-४८६२, दिनांक- २९.०४.२०२५ द्वारा राज्य सरकार के मुफिसल/क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में भी वित्तीय उन्नयन का लाभ दिये जाने का निर्णय संसूचित होने के आलोक में।	प्रथम ए०सी०पी०, द्वितीय ए०सी०पी० एवं तृतीय एम०ए०सी०पी०	१. दिनांक-०९.०८.१९९९ के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-५०००- ८०००/-में स्वीकृत। २. दिनांक-१८.०५.२००८ के प्रभाव से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-९३००-३४८००/ - ग्रेड पे०-४६०० में स्वीकृत। ३. दिनांक-१८.०५.२०१४ के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-९३००- ३४८००/-ग्रेड पे०-४८०० में स्वीकृत।
२	श्री हरख बैठा/ सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/ अधीक्षण अभियंता, स्था०क्ष०अभि० संगठन, कार्य अंचल, साहरसा।	१५.११.१९५७/ ३०.११.२०१७	२०.०३.१९८४	२०.०३.१९८७	दिनांक- २४.०३.२०१३ की तिथि से प्रथम एम०ए०सी०पी० वेतनमान- ५२००-२०२००/ - ग्रेड पे०-२८०० में स्वीकृत।	१. दिनांक-०९.०८.१९९९ के प्रभाव से प्रथम ए०सी०पी० वेतनमान-५०००- ८०००/-में स्वीकृत। २. दिनांक-२०.०३.२००८ के प्रभाव से द्वितीय ए०सी०पी० वेतनमान-९३००-३४८००/ - ग्रेड पे०-४६०० में स्वीकृत। ३. दिनांक-२०.०३.२०१४ के प्रभाव से तृतीय एम०ए०सी०पी० वेतनमान-९३००- ३४८००/-ग्रेड पे०-४८०० में स्वीकृत।

3. उक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पार्थक्य पाये जाने पर उक्त कर्मियों को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

4. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

5. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक् जांच कर लेंगे एवं जांचोपरान्त स्वीकृत लाभों के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्त, दंडादेश एवं अन्य गामला आदि, जो ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० को प्रभावित करता हो, पाया जाता है, तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त कर्मियों का वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, के नियम-8/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के परिशिष्ट-01 के नियम-04 के अनुसार किया जायेगा। वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22 (i) ए (i) में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो ले कि उक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

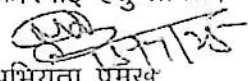
7. जिन कर्मियों का पूर्व में स्वीकृत वित्तीय उन्नयन संबंधित लाभ में संशोधन किया गया है, अथवा पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० को रद्द किया गया हो तो उनका वेतन निर्धारण किये जाने के पूर्व यदि यह परिलक्षित होता है कि उक्त कर्मियों को अत्यधिक वेतन का भुगतान किया गया है, तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नियमानुकूल अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली/समायोजन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।


(श्री० सुल्तान अहमद)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023 7682

/पटना, दिनांक:- 15-7-25

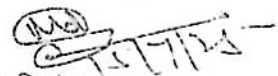
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (प्रशाखा-03 ए), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023 7682

/पटना, दिनांक:- 15-7-25

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023 7682

/पटना, दिनांक:- 15-7-25

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-08/अ०प्र०-07-08/2023 7682

/पटना, दिनांक:- 15-7-25

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख